

Email

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना


पटना, दिनांक-22.10.18

संख्या-9/आ0अरा0उ0-04-20/2012-3554/श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत्त जिन्हें जिन्हें निगरानी थाना कांड संख्या-122/07 दिनांक 02.11.2007 धारा 7(13)(2) एवं 13 (1)(3) भ0नि0 अधिनियम 1988 में गिरफ्तारी के कारण विभागीय आदेश संख्या-4900 दिनांक 14.11.2007 द्वारा दिनांक 02.11.2007 के प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना के कार्यालय में योगदान करने के कारण विभागीय आदेश सं0-5264 दिनांक 02.12.2008 द्वारा श्री चौरसिया को तत्कालिक प्रभाव से मुक्त किया गया है।

2. श्री चौरसिया द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना के कार्यालय में दिनांक 18.04.2008 को योगदान दिया गया था। अतएव विभागीय आदेश सं0-5264 दिनांक 02.12.2008 में अंकित निलंबन से मुक्ति की तिथि दिनांक 02.12.2008 के स्थान पर 18.04.2008 संशोधित किया जाता है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



12/10/18
(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-9/आ0अरा0उ0-04-20/2012-3554/

पटना, दिनांक-22.10.18


प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


12/10/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-9/आ0अरा0उ0-04-20/2012-3554/पटना, दिनांक-22.10.18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा-5/ई0आई0बी0/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत्त, 'संजय सदन' पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना-23 को सूचनार्थ प्रेषित।


12/10/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

